



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 23.01.2024

“आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग के साथ दुष्कर्म से सम्बन्धित मुकदमें के आरोपी को कुल 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 45000/-रु. अर्थदण्ड।

थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-35/2022 धारा 354, 354ख, 452, 376AB भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ अनिल हरिजन पुत्र रामसूरत निवासी गणेशपुर पोखरा थाना शिवपुर वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक शिवपुर व मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 23.01.2024 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायालय पाक्सो-III वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा 354 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/- रु. अर्थदण्ड, धारा 354ख भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/- रु. अर्थदण्ड, धारा 452 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/- रु. अर्थदण्ड तथा धारा 5M/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 30000/- रु. अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी